

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(1) एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **5928/2023**

1. कमला देवी अग्रवाल पत्नी श्री प्रेम कुमार अग्रवाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी 2/6, नागपाल कॉलोनी, श्री गंगानगर (राज.)
2. रेखा रानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, उम्र 41 वर्ष, निवासी 2/6, नागपाल कॉलोनी, श्री गंगानगर (राज.)

-----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

-----प्रतिवादी

साथ

(2) एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **5929/2023**

नेहा अग्रवाल पत्नी पंकज कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 2/6, नागपाल कॉलोनी, श्री गंगानगर (राज.)

-----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

-----प्रतिवादी

(3) एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **7240/2023**

प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र राम अग्रवाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 2/6, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज.)

-----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

-----प्रतिवादी

(4) एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **7241/2023**

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र प्रेम कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 2/6, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज.)

-----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

-----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रवीण व्यास श्री बलजिंदर सिंह संधू जी के साथ श्री अंकुर लिम्बा श्री चिराग कालानी श्री उमेश कांत व्यास
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री अरुण कुमार, पीपी श्री सी.पी. मारवान श्री मोती सिंह श्री राहुल राजपुरोहित श्री चयन बोथरा (शिकायतकर्ता के लिए) श्री प्रकाश कुमार शर्मा, एएसपी, एसओजी, जयपुर स्वयं उपस्थित।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

20/08/2024

- ये याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस स्टेशन जवाहर नगर जिला श्री गंगा नगर में दर्ज एफआईआर संख्या 631/2019 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं हैं, जो आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हैं।
- मैं 22.12.2019 को दर्ज एफआईआर से उभरने वाले मामले के प्रासंगिक पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख कर सकता हूं, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह हैं कि शिकायतकर्ता मेसर्स गणपति मल्टी कमोडिटीज बिजनेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स की सदस्यता के साथ कमोडिटी ब्रोकरेज के व्यवसाय में लगी हुई है। डॉ. जितेंद्र मित्तल कंपनी के निदेशक हैं। कंपनी अपने

ग्राहकों को ब्रोकर के रूप में एक्सचेंज से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जहां कोई भी खरीदार या विक्रेता ब्रोकर के माध्यम से अपना ऑर्डर दे सकता है और ये ऑर्डर एक्सचेंज के सिस्टम पर निष्पादित होते हैं। एक्सचेंज ऑर्डर देने से पहले अपने ब्रोकर के माध्यम से ग्राहकों से अग्रिम मार्जिन जमा करता है और ब्रोकर के माध्यम से दैनिक आधार पर अतिरिक्त मार्जिन मनी भी एकत्र करता है। अपनी स्थापना के बाद से, शिकायतकर्ता कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 12,556 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ बाजार में उच्च प्रतिष्ठा बनाए रखी है।

3. यह कहा गया है कि एफआईआर में वर्णित सभी छह याचिकाकर्ता एक ही परिवार के हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के पास अपने व्यक्तिगत नाम के साथ-साथ अपनी फर्मों के नाम पर छह कमोडिटी ट्रेडिंग खाते खोले। इन खातों का विशिष्ट विवरण भी एफआईआर में उल्लिखित है। यह आरोप लगाया गया है कि शुरू से ही याचिकाकर्ताओं का इरादा केवल लाभ कमाना था, घाटे की भरपाई नहीं करना। सितंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में एक्सचेंज पर अरंडी के बीज की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया। अरंडी के बीज के अनुबंधों की कीमतें 25.09.2019 से लगातार निचले सर्किट को छू रही थीं, जो एक सप्ताह से अधिक समय तक जारी रही। कीमतों में गिरावट के कारण याचिकाकर्ताओं को अपने ट्रेडिंग खातों में दैनिक नुकसान हो रहा था। 25.09.2019 को अरंडी के बीज के व्यापार के लिए एक्सचेंज पर 700 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जिसमें से याचिकाकर्ताओं ने 150 करोड़ रुपये की खरीद की स्थिति ली थी। शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं से बार-बार आवश्यक मार्जिन मनी जमा करने के लिए कहा गया था। अरंडी के बीज के व्यापार में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगातार किए जा रहे घाटे के साथ-साथ अपने व्यापारिक खातों में आवश्यक मार्जिन बनाए रखने/जमा करने में विफलता के कारण, एक्सचेंज ने घाटे को कवर करने के लिए याचिकाकर्ताओं के सभी व्यापारिक लेन-देन को बराबर कर दिया और शिकायतकर्ता और उसके अन्य 120 ग्राहकों की मार्जिन मनी से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए घाटे को समायोजित/जब्त कर लिया। 30.09.2019 तक शिकायतकर्ता ने अपनी ओर से एक्सचेंज को अपने स्वयं के स्रोतों के साथ-साथ अपने 120 अन्य ग्राहकों के स्रोतों से भारी मात्रा में मार्जिन मनी बनाए रखी थी। याचिकाकर्ताओं ने 15.10.2019 तक शिकायतकर्ता और उसके ग्राहकों को बेईमानी और धोखाधड़ी से लगभग 40.04 करोड़ रुपये की ठगी की है, जिससे शिकायतकर्ता का पूरा कारोबार ठप्प हो गया है और शिकायतकर्ता की साख को काफी नुकसान पहुंचा है और साथ ही शिकायतकर्ता के ग्राहक भी बर्बाद हो गए

हैं। जब याचिकाकर्ताओं से देनदारी जमा करने या निपटाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू कर दिया।

4. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी देनदारी से बचने के लिए अपनी अचल संपत्ति भी अपने निकट संबंधियों को बेच दी है, ताकि न्यायालय/मध्यस्थ के किसी भी आदेश को विफल किया जा सके, जिससे शिकायतकर्ता को आरोपी की संपत्ति से उक्त राशि वसूलने का अधिकार मिल सके। आरोपियों ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। आरोपियों ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी है और शिकायतकर्ता के खिलाफ सुसाइड नोट भी छोड़ा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा की जा रही है।

5. सबसे पहले याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत जैन, विद्वान अधिवक्ता श्री बलजिंदर सिंह संधू, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण व्यास और श्री उमेश कांत उयास ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए कोई भी तत्व पूरा नहीं हुआ है और धारा 421 के तहत अपराध जमानती है, जिसके लिए, भले ही यह मान लिया गया हो कि यह किया गया है, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं और उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है; याचिकाकर्ताओं पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है और उनसे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। याचिकाकर्ताओं को एक झूठे मामले में उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि पक्षों के बीच विवाद केवल सिविल प्रकृति का धन वसूली का मामला है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों का पहला और मुख्य तर्क यह है कि एक्सचेंज द्वारा शिकायतकर्ता और उसके ग्राहकों के मार्जिन मनी को समायोजित/जब्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने 24.09.2019 को ही मोबाइल फोन पर शिकायतकर्ता को अरंडी के बीज कमोडिटी में अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए सूचित किया था। उस दिन, अरंडी के बीज के अनुबंधों की कीमत निचले सर्किट में नहीं थी, इसलिए शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की स्थिति को ठीक कर सकता था, जो वह करने में विफल रहा। इसके बाद, 26.09.2019 को शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं को एक ईमेल भेजा जिसमें उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए मोबाइल फोन

पर निर्देश प्राप्त होने की बात स्वीकार की गई। हालाँकि, अपनी विफलता को छिपाने के लिए, शिकायतकर्ता ने मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की तारीख का उल्लेख नहीं किया और इसके बजाय मोबाइल बातचीत की पुष्टि करने के लिए कहा, जो अनुचित था। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता 24.09.2019 को ही याचिकाकर्ताओं की स्थिति को बराबर करके नुकसान को रोक सकता था। याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पर उनके मार्जिन मनी के नुकसान का आरोप लगाया है और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 24.09.2019 के बाद शिकायतकर्ता को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा कार्रवाई करने में विफलता के कारण याचिकाकर्ताओं की मार्जिन मनी खत्म हो गई है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों की दूसरी दलील यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा निष्पादित अरंडी के बीज के व्यापार अनुबंध अनधिकृत थे क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं के निर्देशों और प्राधिकरण के बिना शिकायतकर्ता द्वारा किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उन व्यापारिक अनुबंधों के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों की तीसरी दलील यह है कि मार्जिन मनी की कमी होने पर शिकायतकर्ता के लिए याचिकाकर्ताओं की खुली स्थिति को तुरंत चुकाना अनिवार्य था। शिकायतकर्ता इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा। इसलिए, अपनी विफलता के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए नुकसान को याचिकाकर्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का चौथा तर्क यह है कि वर्तमान एफ.आई.आर. दायर करने से पहले, पक्षों के बीच विभिन्न सिविल मुकदमों और दावों पहले ही शुरू हो चुके हैं और विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मध्यस्थ द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पारित पुरस्कार को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी अचल संपत्तियों के संबंध में निष्पादित विभिन्न उपहार विलेखों को रद्द करने के लिए सिविल न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया है। पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद एक वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित है, जो एक सिविल प्रकृति का मामला है और कोई भी उपाय केवल सिविल न्यायालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को जो व्यावसायिक नुकसान हुआ है, उसे आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सकता है और वर्तमान एफ.आई.आर. केवल याचिकाकर्ताओं पर अवैध दबाव बनाने के लिए

दायर की गई है, जो केवल आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, उन्होंने तर्क दिया।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों की पांचवीं दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संपत्तियों का हस्तांतरण अपराध नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां इस मामले में विवाद का विषय नहीं हैं और न ही उन्हें शिकायतकर्ता या एक्सचेंज के पास गिरवी रखा गया था। इसलिए, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक श्री मोती सिंह की सहायता से शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने आवेदकों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट अनुबंध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य थे, जिसे वे करने में विफल रहे हैं। पक्षों के बीच उक्त विवाद उत्पन्न होने के बाद, इसे मध्यस्थ के समक्ष लाया गया और न केवल मध्यस्थ बल्कि अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निर्णय पारित किया, जो सिविल न्यायालय के निर्णय के समान महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं को जनवरी 2020 से शिकायतकर्ता को लगभग 37.75 करोड़ रुपये की कुल राशि 10% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसलिए, पक्षों के नागरिक अधिकार पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं और अब याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना बाकी है कि उन्हें तदनुसार दंडित किया जाए।

12. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास अपने खाते के लिए इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग की सुविधा भी थी, इसलिए यदि वे चाहते तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करके अपनी स्थिति को स्वयं बंद कर सकते थे, क्योंकि पिछले सभी लेनदेन भी याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं ऑनलाइन किए गए थे। 30.11.2019 से 03.12.2019 के बीच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपनी 15 अचल संपत्तियों को अपने करीबी रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दिया है, जिसका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मध्यस्थ या सिविल कोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के निष्पादन को विफल करना और उनसे वसूली को भी विफल करना है। यह स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को धोखा देने के इरादे से किया गया था।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अब तक एकत्रित सामग्री के आधार पर, जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण

है कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों के दोषी हैं। विद्वान सरकारी वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ के अभाव में, इस मामले में जांच अपराध की आय के संबंध में अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है, इसलिए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अंत में, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

14. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचारपूर्वक विचार किया है।

15. अग्रिम जमानत देने के मापदंडों का निर्धारण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य (2016) 1 एससीसी 152 में रिपोर्ट की गई संपूर्ण कानून का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

(क) आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा याचिकाकर्ताओं की सटीक भूमिका को गिरफ्तारी से पहले ठीक से समझा जाना चाहिए;

(ख) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास की सजा काटी है;

(ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(घ) याचिकाकर्ताओं द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना;

(ङ) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

(च) अग्रिम जमानत देने का प्रभाव, विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने के मामलों में;

(छ) न्यायालयों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में याचिकाकर्ताओं की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।

जिन मामलों में याचिकाकर्ता को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया जाता है, उन पर न्यायालय को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि मामलों में अतिशयता सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है;

(ज) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, और याचिकाकर्ताओं के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए;

(झ) न्यायालय को गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका की उचित संभावना पर विचार करना चाहिए;

(जे) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं के क्रम में, याचिकाकर्ता जमानत के आदेश के हकदार हैं।

16. उपरोक्त कथन को इस मामले में लागू करते हुए तथा दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और केस डायरी तथा अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता कमोडिटीज में व्यापार के अनुबंध की शर्तों और नियमों से बंधे हुए हैं। शिकायतकर्ता भी अपने ब्रोकरेज अनुबंध के संबंध में एक्सचेंज के प्रति शर्तों, नियमों और दायित्वों से बंधा हुआ था। एक्सचेंज के साथ अपने कमोडिटी ट्रेडिंग खाते खोलते समय, याचिकाकर्ताओं ने उन सभी दायित्वों को वहन करने पर सहमति व्यक्त की जो उनके द्वारा किए गए अनुबंधों से उत्पन्न हो सकते थे। शिकायतकर्ता केवल एक ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहा था और केवल याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए व्यापारों के लिए सेवाएं प्रदान करता था। इस प्रकार, शिकायतकर्ता केवल एक सेवा प्रदाता था।

17. जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा 24.09.2019 को शिकायतकर्ता को फोन पर अपनी स्थिति को सही करने का निर्देश देने की पहली दलील का सवाल है, प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ताओं ने केवल टेलीफोन पर शिकायतकर्ता को निर्देश देकर लेनदेन किया। इसके बजाय, सबूतों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता स्वयं समय-समय पर इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे थे।

18. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं ने 24.09.2019 को अरंडी के बीज अनुबंधों में लंबी स्थिति बनाए रखी। यह भी निर्विवाद है कि 25.09.2019 से 03.10.2019 तक एनसीडीईएक्स प्लेटफॉर्म पर अरंडी के बीज अनुबंध निचले सर्किट पर बंद थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ या अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले उपलब्ध अवसर पर यह दलील नहीं दी कि

उन्होंने 24.09.2019 को मोबाइल पर बातचीत के माध्यम से शिकायतकर्ता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने यह साबित करने के लिए कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड या मौखिक बातचीत की रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत नहीं की है कि 24.09.2019 को याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई थी। इसके अलावा, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के पास ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा थी और वे ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से अपने ट्रेड को स्वयं स्पष्ट कर सकते थे, कोई भी उचित कारण नहीं है कि वे तुरंत कार्रवाई करने और नुकसान को कम करने के बजाय शिकायतकर्ता को टेलीफोन पर ऐसा करने के लिए कहेंगे। इसलिए, यह तर्क अब मान्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो याचिकाकर्ताओं ने इसे मध्यस्थ या अपीलीय पंचाट न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया होता, जो उन्होंने नहीं किया।

19. याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि उन्होंने 24.09.2019 को मोबाइल फोन पर शिकायतकर्ता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया था, प्रथम दृष्टया एक मनगढ़ंत कहानी और बाद में सोचा हुआ प्रतीत होता है। इस दावे का खंडन याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को 26.09.2019 को भेजे गए ईमेल से होता है, जिसमें उन्होंने अपने बही खाते में डेबिट की गई शेष राशि का भुगतान करने की अपनी देयता स्वीकार की, लेकिन इसे भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस ईमेल को अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 21.10.2021 के अवार्ड के पैरा संख्या 6.13 में देखा।

20. अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में यह पता चला है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 26.09.2019 को भेजे गए ईमेल में याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि 25.09.2019 की सुबह उन्हें कैस्टर सीड अनुबंधों में एक लंबी खुली स्थिति रखने के बारे में पता चला। उन्होंने बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण हुए नुकसान को भी स्वीकार किया, जिसके कारण कैस्टर सीड अनुबंधों के लेन-देन निचले सर्किट में बंद हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें काफी नुकसान हुआ। इस ईमेल में यह भी लिखा था:-

"पिछले 2 दिनों में विक्रेता की सीमा के कारण, हम कैस्टर सीड में अपनी स्थिति को पूरा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।"

21. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने इन ईमेल को इस न्यायालय से छुपाया है और वे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। बल्कि, उन्होंने न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्य लाकर इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास

किया है जो स्पष्ट रूप से पिछली कार्यवाही में उनके स्वयं के स्वीकारोक्ति के विपरीत हैं। शिकायतकर्ता के दिनांक 26.09.2019 के ईमेल के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपनी स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता के साथ मोबाइल पर बातचीत की हो सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता है कि मोबाइल फोन पर बातचीत 24.09.2019 को ही हुई थी। यदि ऐसी मोबाइल फोन पर बातचीत 24.09.2019 को हुई होती, तो याचिकाकर्ताओं के बाद के ईमेल की भाषा अलग होती। याचिकाकर्ताओं के बाद के ईमेल में दायित्व स्वीकार करने वाली भाषा नहीं होती। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता अपने पक्ष में अग्रिम जमानत देने का विवेक रखने के हकदार नहीं पाए जाते हैं। इस याचिका में जमानत के लिए जो आधार लिए गए हैं, वे प्रथम दृष्टया गलत, झूठे और पिछली कार्यवाही में उनके द्वारा लिए गए आधारों के विपरीत प्रतीत होते हैं। इसलिए, वर्तमान याचिका के समर्थन में प्रस्तुत हलफनामा भी प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है।

22. जहां तक शिकायतकर्ता द्वारा अपने ट्रेडिंग खातों में अनधिकृत लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दूसरे तर्क का सवाल है, इस न्यायालय की राय में, यह तर्क भी मान्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता से कैस्टर सीड अनुबंधों में अपनी लंबी खुली स्थिति को पूरा करने के लिए कहा था। यह तथ्य दर्शाता है कि उन्हें अपनी सभी खुली स्थिति के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता समय-समय पर इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कमोडिटीज में ट्रेड करते रहे हैं। एक्सचेंज निश्चित रूप से अपने ट्रेडिंग क्लाइंट को दैनिक आधार पर और साथ ही नियमित अंतराल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ट्रेड, स्थिति, खातों की वित्तीय स्थिति और कई अन्य रिपोर्टों का सारांश भेजता है।

23. याचिकाकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि उन्हें 25.09.2019 की सुबह तक अपने संबंधित ट्रेडिंग खातों में अरंडी के बीज के अनुबंधों में अपनी लंबी खुली स्थिति के बारे में पता था और उन्हें होने वाले नुकसान के बारे में भी पता था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं के खातों में उनकी जानकारी के बिना अनधिकृत लेनदेन कर रहा था। अगर ऐसा होता, तो याचिकाकर्ताओं ने तुरंत विरोध किया होता और शिकायतकर्ता को ऐसा करने से रोका होता। यह दलील भी एक बाद की सोची-समझी दलील लगती है जिसका उद्देश्य मार्जिन मनी और शिकायतकर्ता द्वारा मांगे गए नुकसान के भुगतान के लिए अपने दायित्वों से बचना है। यह स्पष्ट रूप से इस दावे को नकारता है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के ट्रेडिंग खातों में उनकी अनुमति के बिना कोई भी ट्रेड किया।

24. जहां तक मार्जिन मनी समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं की स्थिति को ठीक करने में शिकायतकर्ता की विफलता के बारे में तीसरे तर्क का सवाल है, यह तर्क भी इस न्यायालय की राय में मान्य नहीं है क्योंकि जब अरंडी के बीज के लेन-देन बाजार की ताकतों द्वारा निचले सर्किट में बंद कर दिए गए थे, जो एक सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहा और जब याचिकाकर्ताओं की मार्जिन मनी खत्म होने लगी, तो न तो शिकायतकर्ता और न ही याचिकाकर्ता खुले पदों को ठीक कर पाए। जब तक निचला सर्किट प्रभावी था, यह शिकायतकर्ता के नियंत्रण से बाहर था।

25. अब याचिकाकर्ताओं की चौथी दलील जो कि एक दीवानी विवाद है, पर विचार किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पक्षों के बीच विवाद एक वाणिज्यिक अनुबंध और धन की वसूली से संबंधित मामला है, लेकिन यह पूर्ण स्थिति नहीं है और सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है।

26. कुछ मामलों में, तथ्यों का एक ही समूह दीवानी और साथ ही आपराधिक कार्यवाही में उपचारों को जन्म दे सकता है और यहां तक कि अगर कोई पक्ष दीवानी उपाय का लाभ उठाता है, तो उसे आपराधिक कानून में कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका जाता है। दोनों उपाय परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से सह-व्यापक हैं और अनिवार्य रूप से उनकी सामग्री और परिणाम में भिन्न हैं। आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है।

27. यह मानना एक अभिशाप है कि जब दीवानी उपाय उपलब्ध है, तो आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित है। दोनों प्रकार की कार्यवाहियां सामग्री, दायरे और आयात में काफी भिन्न हैं। वाणिज्यिक और धन लेनदेन के दौरान कई धोखाधड़ी की जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत दिया गया दृष्टान्त "एफ" ध्यान देने योग्य है:-

(एफ) "ए" जानबूझकर "जेड" को यह विश्वास दिलाकर धोखा देता है कि "ए" का मतलब "जेड" द्वारा उसे दिए गए किसी भी पैसे को चुकाना है और इस तरह बेईमानी से "जेड" को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, "ए" इसे चुकाने का इरादा नहीं रखता है। "ए" धोखा देता है।"

28. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाया कि वे अपने कमोडिटी ट्रेडिंग खातों में पर्याप्त मार्जिन मनी रखेंगे और यदि शिकायतकर्ता को मार्जिन मनी न रखने के कारण याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भुगतान करना पड़ता है या कोई नुकसान उठाना पड़ता है, तो याचिकाकर्ता

शिकायतकर्ता को उसकी भरपाई करेंगे। बाद में शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि याचिकाकर्ताओं के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। बेशक, याचिकाकर्ताओं ने घाटे की भरपाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं के इस कृत्य (आवश्यक मार्जिन मनी के विरुद्ध भुगतान न करने) के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता को परिणाम भुगतान पड़े, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के घाटे को समायोजित करते समय शिकायतकर्ता और उसके ग्राहकों की मार्जिन मनी कम हो गई थी। कोई कारण नहीं था कि शिकायतकर्ता और उसके ग्राहकों को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए घाटे को वहन करना चाहिए।

29. अपराध की राशि 37.75 करोड़ रुपये है, साथ ही जनवरी 2020 से 10% ब्याज देय है। ऐसे तथ्य प्रथम दृष्टया अधिकारियों द्वारा जांच के लिए मामला बनाते हैं। यदि आरोप में सिविल विवाद का खुलासा होता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पार्टियों के बीच वर्तमान लेन-देन में अनुबंध का उल्लंघन शामिल हो सकता है, लेकिन धोखाधड़ी के अपराध के तत्व भी प्रथम दृष्टया पूरे होते हैं। गलत काम करने वाले को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता को गलत काम करने वाले की सुविधा के अनुसार अपने उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

30. रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं सहित अपने चूककर्ता ग्राहकों की ओर से नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता आवश्यक मार्जिन मनी बनाए रखने में विफल रहे, इसलिए, शिकायतकर्ता को एनसीसीएल के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना आवश्यक था। शिकायतकर्ता द्वारा सामना की गई वित्तीय बाधाओं के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता के ग्राहकों की सभी खुली स्थितियाँ बंद कर दी गईं और शिकायतकर्ता के साथ-साथ उसके अन्य ग्राहकों की मार्जिन मनी को एनसीसीएल द्वारा समायोजित कर दिया गया। इससे शिकायतकर्ता का कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी और छल के कारण केवल पर्याप्त वित्तीय नुकसान और अपनी साख को नुकसान उठाना पड़ा।

31. अब याचिकाकर्ताओं के चौथे तर्क पर आते हैं, इस न्यायालय का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से अमीर बनने और दूसरों की साख और प्रतिष्ठा पर फलने-फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो वर्षों की अवधि में स्थापित हुई है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य के माध्यम से कानूनी

रूप से सट्टा लगाया है, तो वह और उसकी संपत्तियां परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं और बाद में वह अपनी संपत्ति नहीं बचा सकता है और दूसरों की कीमत पर और उन्हें बर्बाद करके अमीर बना रहता है। याचिकाकर्ताओं को पता था कि वे उच्च जोखिम वाले वायदा कमोडिटी बाजार में व्यापार कर रहे हैं और उन्हें कभी भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए, नुकसान के डर से, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 में ही अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में आपस में पारिवारिक समझौता कर लिया और जब सही समय आया, तो उन्होंने अपने निकट संबंधियों के पक्ष में अपनी अचल संपत्तियों का निपटान करते हुए उक्त पारिवारिक समझौते को लागू किया। इससे याचिकाकर्ताओं की धोखाधड़ी, बेईमानी और भ्रामक मंशा और उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई संपत्तियों का निपटान स्वाभाविक लेनदेन नहीं था, बल्कि इसका याचिकाकर्ताओं के कमोडिटी ट्रेडिंग के व्यवसाय और उसके परिणामों से सीधा संबंध था।

32. मेरे विचार में, चूंकि मामला अभी शुरूआती चरण में है और जांच चल रही है, इसलिए यदि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जाती है तो यह जांच को व्यावहारिक रूप से बाधित करेगा, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता एक गंभीर अपराध में शामिल हैं, जिसमें बड़ी राशि शामिल है। 33. उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्थापित मामले और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

34. परिणामस्वरूप, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन योग्यता से रहित हैं और तदनुसार खारिज किए जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कुछ भी ऊपर चर्चा या अवलोकन किया गया है वह केवल इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले के गुण-दोष पर किसी भी अभिव्यक्ति या राय के बराबर नहीं होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।